न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/144 **दायरा दिनांक : 20.12.2021**

उनवान

धनराज उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री देवकिशन, जाति धाकड, निवासी बिलोदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. कमला बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल
2. कौशल्या बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल
   जातिगण चमार, निवासी बिलोदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 06.04.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 00039/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बिलोदा, तहसील किशनगंज में खसरा नं. 54 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 56 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। ग्राम बिलोदा, तहसील किशनगंज में खसरा नं. 54 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नं. 56 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर संवत 2024 से अपीलांट के दादा घांसी पुत्र श्री गोपाल काबिज चले आ रहे हैं, जिसकी प्रविष्ठि संवत 2024 की गिरदावरी के कॉलम नं. 41 में वादी के दादा के नाम से हो रही है। उस समय इसकी किस्म बंजड थी तथा बंजड होने के कारण यह भूमियां प्रथमतः वादी/अपीलांट व उसके पिता के नाम जो भूमिहीन है के नाम राजस्व कागजात में खातेदारी कृषक दर्ज होनी चाहिये, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादग्रस्त भूमियां अमरलाल पुत्र श्री हरबक्श चमार को दिनांक 11.11.1975 को एलोट कर दी, अमरलाल ने कभी भी अपने जीवनकाल में इन भूमियों पर काश्त नहीं किया, अमरलाल के फौत होने के बाद रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 उसके वारिस होने के कारण उनके नाम इंतकाल दर्ज हो गया। उन्होंने भी इस भूमि को कभी काश्त नहीं किया, आज भी अपीलांट/वादी ही इन भूमियों पर काश्त करता चला आ रहा है, जिसको 40 वर्ष से अधिक समय हो गया है। जो आवंटन अमरलाल व उसके फौत होने के बाद कमलाबाई व कौशल्या बाई के नाम तस्दीक हो गया, उसके विरूद्ध अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र वास्तु निरस्त किये जाने आवंटन अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद में दिनांक 12.10.2018 को पेश किया, जो प्रकरण सं. 7/2018 में दर्ज हुआ। इसका निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद ने दिनांक 05.02.2019 को किया, जिसमें अमरलाल व उसके बाद उसकी पुत्रियों का आवंटन निरस्त कर दिया तथा भूमियां वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। निर्णय दिनांक 05.02.2019 की कोई भी अपील व निगरानी कमला बाई, कौशल्या बाई या राज्य सरकार ने अपीलीय न्यायालय में नहीं की, इस कारण निर्णय दिनांक 05.02.2019 अंतिम हो गया। इस कारण अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत खातेदारी करवाने पेश किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने 4 तनकियात कायम की और वादी/अपीलांट ने अपने साक्ष्य में पी. डब्ल्यू. 1 धनराज, पी.डब्ल्यू. 2 भरत सिंह, पी.डब्ल्यू. 3 बाबूलाल, पी.डब्ल्यू. 4 मदनलाल, पी. डब्ल्यू. 5 रामबाबू, पी.डब्ल्यू. 6 चतुर्भुज के बयान करवाये तथा दस्तावेज में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 10 दस्तावेज पेश किया। इन सबसे यह साबित होता था कि रेस्पोडेंट का आवंटन निरस्त हो चुका है तथा अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, इस कारण वादी का वाद डिक्री करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि भूमियां अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है, अपीलांट को खातेदारी नहीं दी जा सकती। यहां देखने योग्य बात यह थी कि रेस्पोडेंट का आवंटन जब ए.डी.एम. ने खारिज कर दिया तथा भूमियां सिवायचक दर्ज हो गई तथा अपीलांट ने यह साबित कर दिया था कि वह विवादित भूमि पर पिछले 40 वर्ष से निर्बाद रूप से काबिज है, उसको खातेदार कृषक घोषित करना चाहिये था तथा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री करना चाहिये थे। अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 05.02.2019 न्यायालय ए.डी.एम. शाहबाद के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की थी, किन्तु अपीलांट के वकील ने जो लिखित बहस दी थी, उसके साथ इस निर्णय की प्रति लगाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

थी। इस कारण अब अपीलांट ऑर्डर 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद प्रकरण सं. 07/2018 दिनांक 05.02.2019 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर रहा है, जिसको रिकार्ड पर लिया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि आर्डर 41 नियम 27 के साथ पेश किये गये अतिरिक्त कलेक्टर, शाहबाद के निर्णय को रिकार्ड पर लेकर पुनः निर्णय पारित करें अथवा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया गया।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि ग्राम बिलोदा, तहसील किशनगंज मे खसरा नं० 54 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 56 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता दो रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर सं0 2024 से अपीलान्ट के दादा घासी पुत्र गोपाल काबिज चले आ रहे हैं जिसकी प्रविष्टि सं0 2024 की गिरदावरी के कालम नं0 41 मे अपीलान्ट के दादा के नाम की हो रही है। उस समय इनकी किस्म बंजड थी तथा बंजड होने के कारण उपरोक्त भूमियों पर प्रथम हक अपीलान्ट व उसके दादा का बनता है क्योंकि अपीलान्ट/वादी स्वयं भूमिहीन काश्तकार है तथा उसका पिता भी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादग्रस्त भूमियां अमरलाल पुत्र हरबख्श चमार को दिनांक 11.11.1975 को एलोट कर दी। अमरलाल पुत्र हरबख्श चमार ने अपने जीवनकाल में इन भूमियों को कभी काश्त नहीं किया। अमरलाल के फोत होने के बाद रेस्पो० क्रम 1 व 2 उसके वारिस होने के कारण उनके नाम इन्तकाल दर्ज हो गया किन्तु उन्होंने ने कभी भी इन भूमियों को काश्त नहीं किया तथा आज दिन भी अपीलान्ट/वादी ही अपने पिता के जीवनकाल से इन भूमियों को निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है जिसको 40 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस कारण अमरलाल को किया गया आवटंन स्वतः ही निरस्त हो जाता है तथा वादी वादग्रस्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। जो आवटंन अमरलाल व उसके फोत होने के बाद कमलाबाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

व कोशल्याबाई के नाम तस्दीक हो गया। उसके विरूद्ध अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवटंन नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के न्यायालय उपजिला कलेक्टर, शाहबाद मे दिनांक 12.10.2018 को पेश किया जो प्रकरण सं. 7/2018 पर दर्ज हुआ। इस कारण निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर, शाहबाद ने दिनांक 05.02.2019 को किया जिसमे अमरलाल व उसके बाद उसकी पुत्रियों का आवंटन निरस्त कर दिया तथा भूमियां वर्तमान मे सिवाय चक दर्ज है। निर्णय दिनांक 05.02.2019 की कोई भी अपील व निगरानी कमलाबाई, कोशल्या बाई या राज्य सरकार ने अपीलीय न्यायालय में नहीं की। इस कारण निर्णय 05.02.2019 अंतिम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा खातेदारी घोषणा का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जिसमे चार तनकीयात कायम की गयी। वादी/अपीलान्ट अपनी साक्ष्य मे पी.डब्ल्यू. 1 धनराज पी.डब्ल्यू. 2 भरतसिंह, पी.डब्ल्यू. 3 बाबूलाल, पी.डब्ल्यू. 4 मदनलाल, पी.डब्ल्यू. 5 रामबाबू, पी.डब्ल्यू. 6 चतुर्भज के बयान करवाये। दस्तावेज मे प्रदर्श–1 लगायत 10 पेश किये। इससे यह साबित होता था कि रेस्पो० का आवटंन निरस्त हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की थी उनमे तनकी नं. 3 यह थी "आया वादी ने उक्त विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नही की है। वादी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है । प्रतिवादीगण के पिता को उक्त आराजी दिनांक 11.11.1975 को एलोट हुयी थी तभी से प्रतिवादीगण के पिता, उनके बाद प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस तनकी को साबित करने के लिये अपीलान्ट की ओर से इस अपील मे आदेश 41, नियम 27 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट द्वारा पांच दस्तावेज पेश किये है जिसमे जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम बीलोदा सं. 2074–2077 खसरा नं. 97 व 99 की तथा मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्धक विभाग ग्राम बीलोदा, तहसील किशनगंज दिनांक 04.09.2017 से 03.09.2027 तक का, जमाबन्दी सं. 2074– 2075 जो खसरा नं. 54 व 56 की है जो पूर्व मे कमलाबाई व कोशल्याबाई पुत्री अमरलाल के नाम दर्ज थी जो इन्तकाल नं. 967 दिनांक 19.07.2019 से सिवाय चक दर्ज हुयी एवं जमाबन्दी उपरोक्त नम्बरान की जिससे भूमि सिवाय चक दर्ज हुयी तथा इन्तकाल नं. 967 भी पेश किया है तथा निर्णय दिनांक 05.02.2019 की प्रति जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद ने दिया है जो प्रकरण सं. 7/2018 है जिसकी कोई अपील किसी भी पक्ष द्वारा नहीं की गयी है । इन सब दस्तावेज पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रदर्श नहीं डाला जा सका था। इस कारण इनको अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य में नहीं पढा। अब चूंकि उपरोक्त समस्त दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में पेश कर दिये है इसलिये इन पर विचार करने के लिये चूंकि प्रकरण में एक तरफा है इसलिये रेस्पो० से भी इस बात की जानकारी की जावे कि क्या ए.डी.एम., शाहबाद के निर्णय की कोई अपील उनके द्वारा आगे की हुयी है या नहीं। इसके लिये यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया जाना उचित है ताकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के साथ पेश किये गये दस्तावेजात की रेस्पो० को सूचना देकर पूर्ण जांच कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सके। इस पर अपीलान्ट अपनी ओर से 2023 (1) सी.जे. (सिविल) राजस्थान उच्च न्यायालय पेज 181 जयपुर बेंच कान्हाराम बनाम श्री मति बनारसी देवी एवं 2018 डी.एन.जे. (सर्वोच्च न्यायालय) पेज नं. 1097 कारपोरेशन आफ मद्रास बनाम एमपार्थ सारथी तथा आदेश 20 नियम 5 दी.प्र.सं. के तहत भी प्रत्येक तनकी पर अलग अलग निर्णय पारित करने के लिये 2015 (2) आर.आर.टी. 1283 रामचन्द्र बनाम रामनिवास पेश कर रहे है जिनमे भी यह स्पष्ट लिखा है कि यदि अतिरिक्त साक्ष्य मे कोई दस्तावेज रिकार्ड पर ले लिया जाता है तो पत्रावली उनकी जांच के लिये अधीनस्थ न्यायालय को वापस रिमाण्ड की जानी चाहिये। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय एवं जांच के लिये पुनः प्रेषित की जावे ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट धनराज द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बिलोदा, तहसील किशनगंज में खसरा नं. 54 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 56 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर सं0 2024 से वादी के दादा घासीलाल पुत्र गोपाल काबिज चले आ रहे है। जिसकी प्रविष्टी सं. 2024 की गिरदावरी के कालम नं. 41 में वादी के दादा के नाम की हो रही है। उस समय आराजी की किस्त बंजड थी तथा बंजड होने के कारण प्रथम हक वादी एवं उसके दादा का बनता है क्योंकि वादी स्वयं भूमिहीन काश्तकार है तथा उसका दादा भी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादग्रस्त आराजी अमरलाल पुत्र हरबक्श चमार को दिनांक 11.11.1975 को एलोट कर दी। अमरलाल ने अपने जीवन काल में इन भूमियों को कभी काश्त नहीं किया। अमरलाल के फौत होने के बाद में उनके वारिसान प्रतिवादीगण ने कभी भी इन भूमियों को काश्त नहीं किया तथा आज दिन भी वादी ही अपने दादा के जीवन काल से इन आराजी को निरंतर काश्त करता चला आ रहा है जिसकों 40 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस कारण अमरलाल को किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है तथा वादी वादग्रस्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान समय में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। इसका नाजायज फायदा उठाकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रतिवादीगण इन भूमियों को जबरन काश्त करके दीगर लोगो को बेचान करने पर आमदा है, जिसका उनको कोई अधिकार व हक प्राप्त नहीं है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज करने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जावे तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी को विवादित आराजी पर शांति पूर्वक ढंग से काश्त करने देवे। ऐसा न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधि/कर्मचारियों से करावे। साथ ही प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी को रहन, बेचान नहीं करे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी पर कभी भी काश्त नही की है। वादी भूमि हीन काश्तकार की श्रेणी में नही आता है। प्रतिवादीगण के पिता को उक्त आराजी दिनांक 11.11.1975 को एलोट हुयी थी, तभी से प्रतिवादीगण के पिता तथा उनके फोत होने के बाद प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने तामिल कुनिन्दा से मिलकर प्रतिवादीगण के फर्जी अंगूठा निशानी बनाकर फर्जी तामील करवाकर माननीय न्यायालय में पेश की है तथा माननीय न्यायालय को गुमराह करके फर्जी तामील के आधार पर स्थगन प्राप्त किया है। विवादित आराजी में वादी का किसी भी प्रकार हक हकूक नहीं है। वादी का वाद संधारणीय नहीं हैं। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी/प्रार्थी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद निरस्त किया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम बिलोदा, तहसील किशनगंज के खसरा नं. 54 एवं 56 कुल किता दो कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा आराजी के सन्दर्भ में संवत 2024 की गिरदावरी के कालम नं. 41 में वादी के दादा घासी पुत्र गोपाल के नाम की प्रविष्टी के आधार पर अपने दादा को काबिज काश्त होना तथा भूमिहीन काश्तकार होना बताते हुए विवादित आराजी का आवंटन अमरलाल पुत्र हरबख्श चमार को जो दिनांक 11.11.1975 किया गया उसे गलत बताते हुए विवादित आराजी खसरा नं. 54 एवं 56 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श पी 2 के अनुसार खसरा नं. 54, 56, 67, 197 कुल किता 4 कुल रकबा 10.19 बीघा आराजी कमलाबाई, कौशल्याबाई पुत्रियां अमरलाल, कौम चमार के खाते दर्ज है। वादी अपीलांट द्वारा खसरा नं. 54, 56 की आराजी पर अपने कब्जे काश्त को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

साबित करने हेतु केवल संवत 2024 से 2026 की खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी 6 पेश की है इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। पैरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी कब्जे काश्त के आधार पर आवंटित भूमि जो कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के नाम दर्ज खाता है को अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह मानते हुए कि विवादित आराजी अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी में दर्ज है तथा वादी अन्य पिछडा वर्ग से सम्बन्धित है, सिर्फ कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों हेतु वादपत्र पेश किया है अनुसूचित जाति के खातेदारों के विरूद्ध वादपत्र डिक्री किया जाना विधि सम्मत नहीं है यह मानते हुए वादी का वाद खारिज किया है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ आर्डर 41, नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। अपीलांट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2021 एवं 09.11.2022 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहाबाद, जिला बारां द्वारा प्रकरण सं. 7/2018 में दिनांक 05.02.2019 को पारित निर्णय की प्रमाणित नकल एवं जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता सं. 1, नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग अवधि 04.09.2017 से 03.09.2037, नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075, नकल नामान्तरकरण सं. 967 की प्रमाणित नकले हैं जो विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आर्डर 41, नियम 27 सी.पी.सी. के दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने की स्वीकृति दी गई है।

वादी अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहाबाद, जिला बारां के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05.02.2019 से विवादित आराजी ग्राम बिलोदा खसरा नं. 54 रकबा 3.09 बीघा व खसरा नं. 56 रकबा 6.05 बीघा कुल किता 2, कुल रकबा 9.14 बीघा का दिनांक 11.11.1975 को अमरलाल पुत्र हरबक्स, जाति चमार, निवासी बिलोदा को किया गया आवंटन खारिज करने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय की पालना में नामान्तरकरण सं. 967 से खसरा नं. 54 एवं 56 की आराजी सिवायचक दर्ज की गई है।

वादी अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि आर्डर 41, नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये जा सके और ना ही इन पर प्रदर्श डाले गये हैं और ना ही इनको अधीनस्थ न्यायालय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

में साक्ष्य में पढा गया। अतः यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये ताकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट द्वारा आर्डर 41, नियम 27 सी.पी.सी. के साथ पेश किये गये दस्तावेजात की रेस्पोडेंट को सूचना देकर पूर्ण जांच कर सके परन्तु प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद, जिला बारां के निर्णय दिनांक 05.02.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस निर्णय के आधार पर अपीलांट को नियमित वाद के माध्यम से विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नामान्तरकरण सं. 967 से विवादित आराजी सिवायचक दर्ज हो चुकी है और सिवायचक भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का वादी अपीलांट को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक रूप से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

धनराज उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री देवकिशन, जाति धाकड, निवासी बिलोदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... **अपीलांट**

बनाम

1. कमला बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल
2. कौशल्या बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल
   जातिगण चमार, निवासी बिलोदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2021 / 144**
मु.द.नं0 **00039 / 2018**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **18.08.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 03** सन् **2026**

श्री **बाबू लाल जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06 माह 04 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)